संख्याः 9166 / 79.6.2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा (6) अनुभाग   लखनऊ दिनांकः 06.08.2007

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेश / अर्द्ध शा0 पत्र का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन शासनादेशों के द्वारा विद्यालयों में पके–पकाये भोजन की उपलब्धता तथा भोजन निर्माण में स्वच्छता बनाये रखने हेतु विभिन्न निर्देश जारी किए गये हैं। यह भी व्यवस्था की गयी थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर खाना बनाने हेतु एक समिति होगी जिसकी देखरेख में भोजन पकाने एवं वितरण कराये जाने के साथ–साथ योजना के सफल संचालन हेतु रोस्टर प्रणाली के आधार पर नियमित रूप से निरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

1. सं0–1429 / 79–6–04–01(6) / 2000 टी0सी0–3 दिनांकः 25 जून, 2004
2. शा0सं0–1643 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0 दिनांकः 23 जुलाई, 2004
3. शा0सं0–1981 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0 दिनांकः 08 सितम्बर, 2004
4. अर्द्ध शा0प0सं0–03 / 2004–05, दिनांकः 01.12.2004
5. शा0सं0–2906 / 79–6–05–1(6) / 2000 टी0सी0 दिनांकः 02 जनवरी, 2006
6. पत्र सं0–2907 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0–2 दिनांक 14.01.2006

योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स तथा विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स गठित करते हुए यह निर्देश दिए गये थे, कि उक्त टास्क फोर्स के प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह 05–05 विद्यालयों का निर्दिष्ट चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण करेंगे तथा इसकी आख्या शिक्षा निदेशक (बे0) तथा शासन को प्रेषित करेंगे।

किन्तु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा जनपदों में की गई जॉच के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त शासनादेशों का सम्यक पालन नहीं हो रहा है जिससे बच्चों के बीमार पड़ने आदि की घटनाएं संभावित हो रही है। अतः उक्त सभी शासनादेशों तथा समय–समय पर विभाग / शासन द्वारा जारी निर्देशों का सम्यक पालन प्रत्येक स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पत्र दिनांकः 29.03.2006 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है किन्तु स्थिति में कोई सुधार दृष्टव्य नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जनपद हेतु निर्धारित निरीक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाय। जनपद में कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण एवं शासन को अवश्य भेजी जाय। टास्कफोर्सो से सम्बन्धित चेक लिस्ट संलग्न है।

मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा है कि उनके स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना को एक एजेण्डा बिन्दु के रूप में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा इस शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्रा)
मुख्य सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0
(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव